

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS
(ALPAKALIK VYAVASTHA) ACT, 1970

(U. P. Act No. 22 of 1970)

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis Tatha
Zila Parishad (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970]

AN

ACT

to provide for certain temporary arrangements for the administration of the
Zila Parishads of the State pending a review of their constitution and func-
tions and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as
follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and
Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970.

Short title and
commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 23, 1970.

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (Extraordinary),
dated March 20, 1970)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 21, 1970 and by the
Uttar Pradesh Legislative Council on May, 12, 1970 along with amendments which were
approved by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 28, 1970)

(Received the Assent of the Governor on June 4, 1970, under Article 200 of the Constitution
of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary*, dated June 6, 1970)

Temporary provisions regarding administration of Zila Parishads.

2. (1) With effect from the commencement of this Act, the provisions of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), shall, for a period of two years or until the reconstitution of the said Zila Parishads under section 22 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to each of the Zila Parishads subject to the following provisions, namely:

(a) notwithstanding anything in the said Adhiniyam, the Adhyaksha, Upadhyaksha and members of the Zila Parishad shall cease to hold their respective offices;

(b) all powers, functions and duties of the Zila Parishad, its Adhyaksha, Upadhyaksha and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate and the District Magistrate shall be deemed in law to be the Zila Parishad, Adhyaksha, Upadhyaksha or the Committee, as the occasion may require;

(c) subject to any general or special orders of the State Government, the District Magistrate may in respect of all or any of the powers conferred on him by the last preceding clause delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or authority to be specified by him in that behalf;

(d) the District Magistrate may in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (b) consult such body or committee as may be constituted by the State Government in that behalf;

(e) the State Government may from time to time by notification in the *Gazette* make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending in whole or in part the operation of any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing and connected purposes.

(2) Every notification issued under clause (e) of sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal of U. P. Ordinance VI of 1970.

3. The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhyadesh, 1970 is hereby repealed.

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था)
अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 21 मार्च, 1970 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मई, 1970 को संशोधनों सहित पारित किया जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मई, 1970 की बैठक में स्वीकृत किया गया।]

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 4 जून, 1970 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जून, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

जिला परिषदों के संघटन और कृत्यों के सम्बन्ध में पुनर्विचार होने तक उनके प्रशासन के लिये कतिपय अल्पकालिक व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में प्राविधान करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 23 मार्च, 1970 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन उक्त जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात्—

जिला परिषदों के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबंध

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ;

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 6 जून, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति समझा जायगा ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खंड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है।

(घ) जिला मैजिस्ट्रेट खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित की जाय ;

(ङ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुपंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा संबद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायेगी और, जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश सं० 6,
1970 का
निरसन

3—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1970, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।